[illegible]

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समरहिल शिमला–171005

"शैक्षणिक शाखा",

दिनांक :– 22 JUL 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में दर्शाये गए प्रावधान 16 तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 38.9, 38.10 और 38.16 के प्रावधान के अनुसार तथा कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 14.02.1995 में मद संख्या 38 द्वारा प्रदान की गई अधिकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार नीचे दर्शाये गए **विषयों** को **शैक्षणिक सत्र 2020–21 से शुरू करने एवं चलाने हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान** की है जो कि निरीक्षण समिति की रिपोर्ट मे दर्शायी गई विसंगतियों की शर्तों को पूरा करने के उपरान्त ही मान्य होगी और निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में दर्शायी गई विसंगतियों / त्रुटियों की अनुपालना रिपोर्ट महाविद्यालय को दो महीने के भीतर पूरा करने के उपरान्त विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय / संस्थान के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

कम संख्या	महाविद्यालय का नाम	कोर्स का नाम एवं सीटें	शैक्षणिक सत्र	निरीक्षण तिथि
1.	**Centre of Excellence, Govt. Degree College, Sanjauli, Distt. Shimla-171006 (H.P.)**	**M.A. English- 30 seats** **M.A. Hindi- 30 seats** **PGDCA- 40 seats** **BBA- 40 seats**	**2020-21**	**06-07-2020**

22/07/2020
सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
हि0, प्र0, वि0 वि0, शिमला–5
दिनांकः– 22 JUL 2020

पृष्ठाकंन संख्याः यथोपरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतू प्रेषितः–

1. उपरोक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में दर्शायी गई त्रुटियों की अनुपालना रिपोर्ट दो महीने के भीतर पूरा करने के उपरान्त इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय में चलाये जा रहे उपरोक्त कोर्सो की सम्बद्धता शुल्क **(Affiliation fee) for the Academic session 2020-21** रूपए 12,000 / –प्रति कोर्स (एम.ए. हिन्दी एवं अग्रेजी) तथा रूपए 25,000 / –प्रति कोर्स (पी.जी.डी.सी.ए. एवं बी.बी.ए.) कुल रूपए 74,000 / – **(alongwith GST @ 18% in compliance of the Notification No.1-104-HPU (Genl.) Vol-IV dated 18-05-2020 circulated by H.P.university)** 31.07.2020 तक जमा करे तथा सत्र 2021–22 के लिए निर्धारित प्रपत्र पर वाछित निरिक्षण शुल्क **(Inspection fee)** कुल रूपए 55,000 / – के साथ आवेदन 30 नवम्बर, 2020 तक करें अन्यथा हि.प्र.वि.वि. अध्यादेश 38.13 के अनुसार देरी शुल्क 25,000 / – प्रति कोर्स वसूला जायेगा। आगामी कारवाई हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट संलग्न है।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002.
3. अतिरिक्त प्रधान सचिव, शिक्षा, हि0 प्र0 सरकार, शिमला–2.
4. शिक्षा निदेशक, हि0 प्र0 सरकार, शिमला–1.
5. अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद, हि0 प्र0 वि0, शिमला–5.
6. परीक्षा नियन्त्रक, हि0 प्र0 वि0, शिमला–5.
7. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, गोपनीय / परीक्षा / मूल्यांकन / पुर्नमूल्यकांन / संचालन / आर0एम0ई0 / डिग्रीसैल / प्रशासन / इनटरनल आडिट / पी0आर0ओ0 हि0 प्र0 वि0,शिमला–5.
8. सचिव कुलपति / वरिष्ठ निजी सचिव / प्रति कुलपति / कुलसचिव,हि0प्र0 वि0,शिमला–5.
9. सम्बन्धित कॉलेज की नस्ति एवं रक्षक नस्ति ।

22/07/2020
सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

Sh. Nand Lal
Principal

केन्द्रीय समिति रिपोर्ट

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिसूचना संख्या 1-183/98-HPU (Acad) Vol-X दिनांक 29.12.2018 के अन्तर्गत गठित समिति जिसमें निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर सरकारी/गैर–सरकारी/व्यवसायिक संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा वर्तमान में चलाये जा रहे और नए/पुराने विषयों को चलाये जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता/संबद्धता में बढ़ोतरी देने की अनुशंसा की जानी है, की बैठक 15.07.2020 को की गई।

समिति द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस गर्वन्मेंट डिग्री कॉलेज संजौली जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात इस महाविद्यालय में पी.जी.डी.सी.ए. विषय को चालीस सीटों के साथ वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित शर्तों पर चलाने/शुरू करने के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

1. महाविद्यालय में सत्र शुरू होने से पहले कम से कम एक संकाय सदस्य की नियुक्ति यूजीसी/हि.प्र.विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर करवाई जाए।
2. पुस्तकालय में पी.जी.डी.सी.ए. विषय से सम्बन्धित पुस्तकें अधिक संख्या में उपलब्ध करवाई जाए।
3. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में कम्प्यूटरस को दुरूस्त रखने के लिए उनमें एन्टी वायरस स्थापित किये जाएं।

उपर्युक्त शर्तों का तथा निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित शर्तों का पालन दो माह के भीतर किया जाना चाहिए तथा उसकी अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय में जमा करवाई जाये ।

सह–कुलसचिव (शै0) | (प्रो0 संजय संधु) | (प्रो0 पवन गर्ग) | (मुख्य छात्रपाल)

अधिष्ठाता, म0वि0प0 | अधिष्ठाता छात्र कल्याण | अधिष्ठाता अध्ययन

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

अधिष्ठाता अध्ययन

1087/CDC
17/7/2020

मा0 कुलपति महोदय

18/7/2020

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(कुलपति कार्यालय)
पावती नं. 2272
दिनांक 17.07.2020

Dean/CDC

20/7/2020

A.R. (Acad.)

20/7/20

हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला
दैनिकी सं. 4025
दिनांक 20/7/2020
शैक्षणिक शाखा

S.O. Acad

20/7/20

D.A (G-C)